—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 49/2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/117

निर्णय दिनांक 30.12.2024

लिखाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवारी दड़िबा तहसील बीदासर जिला चूरू।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तूत है कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6800 हैक्टेयर (0.0500 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 5.6300 हैक्टेयर बारानी) रोही ग्राम हथाणा में स्थित है वादी के पिता पेमा राम के फौत होने के बाद जब राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम लिखा राम की जगह लिखमीचन्द दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम लिखा राम था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम लिखमीचन्द लिख दिया जबकि वादी का नाम लिखा राम दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेत पर वादी का कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व के अनुसार वादी ने पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्ष के दस्तावेज लिखा राम नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लिखा राम की जगह लिखमीचन्द दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी के पिता के नाम के वादी का पहचान के दस्तावेजो के विपरीत होने से दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने पहचान के सबूत में लिखा राम होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम लिखा राम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम लिखमीचन्द पुत्र पेमाराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मांगा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में सशोधन किया जाता है इसलिये स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही रीड़ी के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तूत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाने का निवेदन किया गया:-

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6800 हैक्टेयर (0.0500 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 5.6300 हैक्टेयर बारानी) में लिखमीचन्द पुत्र पेमाराम की जगह लिखा राम पुत्र पेमाराम घोषित किया जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6800 हैक्टेयर (0.0500 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 5.6300 हैक्टेयर बारानी) में लिखमीचन्द पुत्र पेमाराम की जगह लिखा राम पुत्र पेमाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने से तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्य वादी पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6800 हैक्टेयर (0.0500 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 5.6300 हैक्टेयर बारानी) में लिखमीचन्द पुत्र पेमाराम के स्थान पर लिखा राम पुत्र पेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निणर्य आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

लिखाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी दड़िबा तहसील बीदासर जिला चूरू।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 49 / 2024

दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 30.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि रोही ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.6800 हैक्टेयर (0.0500 हैक्टेयर गैर मुम्किन, 5.6300 हैक्टेयर बारानी) में लिखमीचन्द पुत्र पेमाराम के स्थान पर लिखाराम पुत्र पेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:52 IST
Reason: SelfAttested